प्रेस नोट
थाना लहचूरा,जनपद- झाँसी

दिनांक- 04.07.2026

- **जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,**
- **थाना लहचूरा पुलिस द्वारा हत्या करके युवक को जलाने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार,**
- **गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मारुती कार बरामद,**
- **गिरफ्तार अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है,**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन ,कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 03.07.2026 को थाना लहचूरा पुलिस द्वारा गुमशुदगी के अभियोग से संबंधित नैपाल सिंह पुत्र चन्दन सिंह मूलनिवासी- ग्राम दिदवारा, थाना- महोबकंठ, जनपद- महोबा हालपता ग्राम धमनापायक थाना लहचूरा जनपद- झांसी की हत्या करके उसके शव को जलाकर साक्ष्य को मिटाने वाले 02 अभियुक्तगण **1. प्रीतम सिंह पायक पुत्र श्री अर्जुन सिंह उम्र करीब 40 वर्ष निवासी- ग्राम धमनापायक थाना लहचूरा जनपद झांसी 2. गोलू उर्फ राजा सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मवई थाना टोडीफतेहपुर जनपद झाँसी** को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 29.06.2026 को थाना लहचूरा के ग्राम धमनापायक के श्री वीरसिंह तोमर पुत्र श्री चन्दन सिंह मूलनिवासी- ग्राम दिदवारा, थाना- महोबकंठ, जनपद- महोबा हालपता ग्राम धमनापायक थाना लहचूरा जनपद- झांसी द्वारा अपन भाई की गुमशुदगी की तहरीर दी गयी। प्राप्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर गुमशुदगी में अभियोग पंजीकृत किया गया। दिनांक 03.07.2026 को वादी द्वारा थाना लहचूरा पर उपस्थित आकर अवगत कराया कि नैपाल सिंह पुत्र चन्दन सिंह मूलनिवासी- ग्राम दिदवारा, थाना- महोबकंठ, जनपद- महोबा हालपता ग्राम धमनापायक थाना लहचूरा जनपद- झांसी हालपता ग्राम धमनापायक थाना लहचूरा जनपद- झांसी का अपहरण कर उसकी हत्या करके शव को थाना क्षेत्र अलीपुरा जनपद- छतरपुर (म0प्र0) में जला दिया गया है। जिसके संबंध में थाना लहचूरा पर मु0अ0सं0- 82/2026 धारा 140(1)/103(1)/238 भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना के दौरान आज दिनांक 04.07. 2026 मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित मृतक नैपाल सिंह की हत्या करने वाले 02 अभियुक्तगण-1 . प्रीतम सिंह पायक पुत्र श्री अर्जुन सिंह उम्र करीब वर्ष 40, निवासी- ग्राम धमनापायक, थाना- लहचूरा, जनपद झाँसी 2. गोलू उर्फ राजा सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह, निवासी- ग्राम मवई, थाना- टोडीफतेहपुर, जनपद- झाँसी को मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम धमनापायक से तिलैरा के रास्ते से मऊरानीपुर की तरफ जाने वाले रोड पर झाड़ी बाबा तिराहा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन मारूती ZEN (UP93R9600) को बरामद कर पुलिस के कब्जे में लिया गया है।

बरामदगी का विवरण – घटना में प्रयुक्त ZEN (UP93R9600) मारूती कार

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. प्रीतम सिंह पायक पुत्र श्री अर्जुन सिंह उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम धमनापायक थाना लहचूरा जनपद झाँसी
2. गोलू उर्फ राजा सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मवई थाना टोडीफतेहपुर जनपद झाँसी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक सरिता मिश्रा थाना लहचूरा ,झाँसी।
2. उ0नि0 श्री कैलाश चन्द्र थाना लहचूरा झाँसी।
3. उ0नि0 श्री रमेश चन्द्र गौतम थाना लहचूरा झाँसी।
4. हे0का0 384 रणजीत सिंह थाना लहचूरा झाँसी।
5. का0 1537 राहुल दुवे थाना लहचूरा झाँसी।
6. रि0का0 अभिनव सिंह थाना लहचूरा झाँसी।
7. रि0का0 शैलेन्द्र शर्मा थाना लहचूरा झाँसी।